बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
।। अधिसूचना ।।

पटना–15, दिनांक–06/02/2026

संचिका सं0–09/प्रो0–02–04/2025–2625/सा०प्र०–सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0–19300, दिनांक–13.10.2023 एवं अधिसूचना सं0–18775, दिनांक–04.10.2025 में निहित प्रावधानों के तहत दिनांक–11.04.2019 से 13.10.2023 के बीच बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निम्नांकित सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को प्रधान आप्त सचिव के विहित वेतनमान (वेतन स्तर–11) सहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के अधीन वेतनमान का वैचारिक लाभ प्रदान किया जाता है:–

क्र0सं0	पदाधिकारी का नाम	तत्कालीन कोटि	मूल कोटि की वरीयता क्रमांक (सिविल लिस्ट, 2018 के अनुसार)	वैचारिक रूप से अनुमान्यता की तिथि/ सेवानिवृत्ति की तिथि	पुनर्निर्धारित पेंशन के देयता की वास्तविक तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	श्री सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा	आप्त सचिव	28	31.12.2019	04.10.2025
2.	श्री गोपाल चन्द्र झा	आप्त सचिव	56	31.08.2022	04.10.2025
3.	श्री अयोध्या चौधरी	आप्त सचिव	62	29.02.2020	04.10.2025

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–19300, दिनांक–13.10.2023 एवं अधिसूचना सं0–18775, दिनांक–04.10.2025 में निहित शर्तों के अध्याधीन है।

3. उपर्युक्त सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को उक्त लाभ वैचारिक रूप से अनुमान्य किया जायेगा, इसलिए इस क्रम में सेवाकाल में किसी भी प्रकार का अनुमान्य बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया जायेगा। इस आधार पर वेतन एवं सेवानिवृति के समय वेतन का निर्धारण वैचारिक रूप से किया जाएगा। तदनुसार पेंशन का वैचारिक पुनर्निर्धारण किया जाएगा जिसका वास्तविक आर्थिक लाभ दिनांक–04.10.2025 से अनुमान्य होगा।

4. विभागीय अधिसूचना–18775, दिनांक–04.10.2025 के आलोक में उपर्युक्त बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के अधीन अनुमान्य उच्चतर पदों के वेतनमान का वैचारिक लाभ/पेंशन पुनरीक्षण संबंधी कार्य महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना के स्तर से अपेक्षित होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(राज किशोर तिवारी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–09/प्रो0–02–04/2025–2625/सा०प्र० –15,दिनांक– 06/02/2026

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार, पटना/सभी संबंधित विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/स्थानिक आयुक्त, बिहार, भवन, नई दिल्ली/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित पदाधिकारी/प्रबंधक, आई0 टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट एवं संबंधित पदाधिकारी के सेवा इतिहास पोर्टल पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/02/26

सरकार के अवर सचिव